इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31493-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१६

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो खण्ड (क) तथा (ख) के अंतर्गत नहीं आता है और जो राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध या अभिप्राप्त कर राज्य के भीतर उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा विहित कालावधि के दौरान उपभोग की गई कुल विद्युत् ऊर्जा का पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान, राज्य सरकार को विहित समय पर तथा विहित रीति में, किया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से उपलब्ध या अभिप्राप्त की गई विद्युत् ऊर्जा के, राज्य के भीतर उपभोग पर ऊर्जा विकास उपकर उद्ग्रहीत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ दिसम्बर, २०१६

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खंड-२ द्वारा उपयोग की गई कुल विद्युत ऊर्जा पर निर्धारित ऊर्जा विकास उपकर की कालावधि विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही है, जो सामान्य स्वरूप की होगी.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19401-300-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 31 OF 2016

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), in sub- section (1), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(c) Every person other than electricity distribution licensee, who is not covered under clauses (a) and (b) and who consumes electrical energy within the State upon procuring or obtaining it from outside the State through open access, shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit of total electrical energy consumed by such person during prescribed period.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to levy energy development cess on consumption of electrical energy within the State upon procuring or obtaining it from outside the State through open access, suitable amendment is proposed in Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 6th December, 2016.

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.